न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सीमा कविया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10/2025

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. ओमप्रकाश पुत्र कुम्भाराम 2. मिश्रीलाल बामनिया पुत्र कुम्भाराम 3. सुरेश पुत्र कुम्भाराम 4. छत्र प्रकाश पुत्र खुशालाराम 5. पेपाराम पुत्र गुमानाराम 6. पुरखाराम पुत्र खुशालाराम के का0मु0– 6/1 घनश्याम पुत्र पुरखाराम (जातियान मेघवाल निवासी ग्राम दलपत नगर, तह0 शेरगढ, जिला जोधपुर)		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर **प्रफोर्मा पक्षकार–** 2. कोजीदेवी पत्नी कुम्भाराम 3. जसुदेवी पुत्री कुम्भाराम 4. लीला पुत्री कुम्भाराम 5. सुगनोदेवी पुत्री कुम्भाराम 6. खीयाराम पुत्र पेपाराम 7. पुरखाराम पुत्र खुशालाराम के का0मु0– 7/1 दुर्गादेवी पत्नी पुरखाराम (जातियान मेघवाल निवासी ग्राम दलपत नगर, तह0 शेरगढ, जिला जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ आदेश क्रमांकः 157 दिनांक 28.6.22

उपस्थिति –
1. श्री पीराणे खान, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1

निर्णय

दिनांक 20.05.2025

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि शिविर प्रभारी प्रशासन गॉव के संग अभियान फॉलोअप कैम्प 2022–उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के अपीलाधीन आदेश क्रमांक 157 दिनांक 28.6.22 द्वारा तहसीलदार शेरगढ़ की अभिशंषा व उसके संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्व ग्राम दलपत नगर के खसरा नं0 173/2 की उल्लेखित रकबा भूमि को मौके पर स्थाई रूप से चालू लेकिन राजस्व रेकर्ड में अंकन से शेष कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलार्थीगण ग्राम दलपत नगर के खसरा नम्बर 173/2 के सह–खातेदार एवं कब्जाकाश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार शेरगढ के प्रस्ताव पर न तो प्रकरण दर्ज किया गया और न ही संबंधित एवं हितबद्ध खातेदारान को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रस्ताव में मृतक खातेदार कुम्भाराम की भूमि को रास्ते में दर्ज करने का गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया गया। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में भूमि की किश्म परिवर्तन में रेकर्डेड खातेदारान की सहमति लेने के प्रावधान है, जबकि इस मामले कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए संबंधित खातेदारान की सहमति नही ली गई। मौके पर रास्ता मौजूद ही नही है और प्रस्ताव में कदमी रास्ता चालू होने के प्रमाण का कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द पर दिनांक अंकित नही है, उक्त रास्ता आगे खसरा नं0 177 से जोड़ने का उल्लेख है। जबकि ख0नं0 177 में पूर्व से ही राजस्व रेकर्ड में ख0नं0 180/3 व 171/4 में से रास्ता दर्ज है। उक्त आदेश तहसीलदार शेरगढ के प्रस्ताव दिनांक 28.6.22 पर उसी दिन पारित कर दिया गया। इससे साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश एवं उसकी पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 453 दिनांक 9.8.22 को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2024(2) पेज नं0 788–791 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार शेरगढ की अनुशंषा पर "प्रशासन गांव के संग अभियान फॉलोअप कैम्प–2022" में Same Day की गई है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राजस्व/प्र.गा.स.अ./2022/157 दिनांक 28.06.2022 व उसकी पालना में की गई पश्चातवर्ती कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

28.06.2022 श्री उपखण्ड अधिकारी शेरगढ, जिला जोधपुर

साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

28.06.2022 श्री उपखण्ड अधिकारी शेरगढ, जिला जोधपुर
द्वारा इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान